



न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

III निगरानी/रीवा/भू.सं/2017/3755

अनिल कुमार पुत्र हीरालाल ब्राह्मण
निवासी ग्राम उरुआ तहसील मऊगंज
जिला - रीवा (म.प्र.)

..... आवेदक

श्री. सुनील कुमार
द्वारा आज दि. 9-10-17
परस्त

विरुद्ध

बद्रीनारायण पुत्र रामदास ब्राह्मण
निवासी ग्राम उरुआ तहसील मऊगंज
जिला - रीवा (म.प्र.)

..... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय तहसील मऊगंज
जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा प्रकरण क्रमांक 75/ए-6/13-14 में
पारित आदेश दिनांक 19.9.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू. राजस्व
संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण ।

Noted
11-10-17

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि :-

- 1- यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।
- 2- यह कि, आराजी नं. 70/2 अनावेदक के पिता रामदास ने आवेदक के बाबा रामप्रसाद को दिनांक 28.9.1974 को विक्रय कर कब्जा सोप दिया था तत्पश्चात उनका नामांतरण होकर राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज हो गई थी जो निरंतर दर्ज होकर मौके पर काबिज चले आ रहे हैं।

